

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## :: कार्यालय आदेश ::


इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा-माध्य/सी-1/अंग्रेजी/स्थानान्तरण/2020-21 दिनांक-04.01.2021 के तहत श्री मुरली मनोहर व्याख्याता, अंग्रेजी राउमावि रियां सेठों की जोधपुर का स्थानान्तरण राउमावि मतोड़ा, जोधपुर किया गया।

श्री मुरली मनोहर द्वारा स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एसबीसिया सं. 1305/2021 मुरली मनोहर बनाम सरकार व अन्य दायर की गई। जिस पर माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 21.01.2021 द्वारा आदेशित किया गया कि याचिकार्थीगण को विभाग के समक्ष प्राधिकारी को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रस्तुत अभ्यावेदन को याचिकार्थी की परिवेदना के आधार पर निस्तारित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

माननीय न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थी श्री मुरली मनोहर द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर पदस्थापित स्थान निवास स्थान से दूर होने एवं स्वयं की विपरीत पारिवारिक परिस्थिति होने संबंधित अभ्यावेदन प्रस्तुत कर राउमावि राउमावि रियां सेठों की जोधपुर में पुनः यथावत व्याख्याता अंग्रेजी के रिक्त पर स्थानान्तरण करने का निवेदन किया है।

याचिकार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। याचिकार्थी द्वारा वांछित पद रिक्त नहीं है। याचिकार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए याचिकार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी पक्षकार सूचित हों।

  
(सौरभ स्वामी)

निदेशक,


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,  
बीकानेर

दिनांक : 15/2/2021

क्रमांक शिविरा/माध्य/सी-1/एसबीसियासं. 1305/मुरली मनोहर/2021

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रस्तुत है :-

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
4. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा,
5. जि.शि.अ. (माध्य-विधि) जोधपुर।
6. विधि अनुभाग/सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा।
7. संबंधित प्राधानाचार्य,
8. श्री पवन कुमार व्याख्याता, अंग्रेजी
9. निजी/रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर